

कण्डिका क्रमांक - 26

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

भाग - II

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

07. परियोजना / स्कीम का स्थान :-

- | | | | |
|------|---|----|---|
| i | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | :- | छत्तीसगढ़ |
| ii | जिला | :- | उत्तर बस्तर कांकेर |
| iii | वन प्रभाग | :- | वन मण्डल कांकेर, परिक्षेत्र कांकेर |
| iv | वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टर में) | :- | कांकेर परिक्षेत्र के नारंगी वन खण्ड नाथियानवागांव के कक्ष क्रमांक 346 में से रकबा 4.309 हैं. |
| v | वन की कानूनी स्थिति | :- | नारंगी वन कक्ष क्रमांक 346 |
| vi | हरियाली का धनत्व | :- | 0.2 से 0.3 |
| vii | प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई / जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ. आर. एल. एफ. आर. एल. - 2 मीटर पर परिगणना और एफ. आर. एल. - 4 मीटर भी संलग्न की जाए) | :- | प्रजातिवार एवं गोलाईवार वृक्ष गणना पत्र पेज क्रमांक ...36... से ...39... तक संलग्न है। कुल वृक्षों की संख्या में से 70 से.मी. गर्थ के ऊपर के 19 वृक्ष है। |
| viii | भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। | :- | प्रस्तावित स्थल कंकडीली एवं उबड़-खाबड़ होने के कारण मृदा भू-क्षरण होने की संभावना नहीं है। |
| xi | वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी। | :- | प्रस्तावित क्षेत्र से आरक्षित वन खण्ड कक्ष क्रमांक 65 के सीमा से लगा हुआ है तथा प्रस्तावित नारंगी वन खण्ड नाथियानवागांव, कक्ष क्रमांक 346 का ही भाग है। |

- x क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, :- नहीं।
जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है (यदि हों, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणीयाँ अनुबंधित की जाये)
- xi क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणीजात की दुर्लभ / :- नहीं।
संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है, यदि हों / तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।
- xii क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारंपरिक स्थल / रक्षा :- प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार के ऐतिहासिक प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक इस क्षेत्र में स्थित है। यदि हों तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें। एवं धार्मिक स्थल स्थित नहीं है।
- 08 प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग - 1 कॉलम 2 में प्रस्तावित :- आवेदक प्राचार्य, शासकीय पॉलीटेक्निक वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य कांकेर द्वारा ग्राम नाथियानवागांव में शासकीय पॉलीटेक्निक भवन की स्थापना हेतु मांग की और न्यूनतम है। यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के गई भूमि 4.309 हैं. अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।
ब्यौरा के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।
- 09 क्या अधिनियम उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है :- नहीं।
(हां/नहीं) यदि हों तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।
- 10 प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा -
- i प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेतर :- परियोजना के विरुद्ध दुगुने क्षेत्र में वैकल्पिक क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आसपास के वन से इसकी वृक्षारोपण हेतु परिक्षेत्र चारामा के नारंगी वन दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार खण्ड सिरसिदा (अ) कक्ष क्रमांक 1474 वन भूमि रकबा 8.618 हैं. में प्रस्तावित किया गया है।
- ii प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेतर / :- संलग्न है।
अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मानचित्र।

- iii रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढांचा आदि । :- रोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में वन विभाग द्वारा मिश्रित रोपण किया जावेगा । प्राक्कलन पेज क्रमांक 44 से 52 तक संलग्न है ।
- iv प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिब्यय । :- प्रतिपूरक वनीकरण योजना राशि 5689991.00 रुपये का तैयार की गई है ।
- v प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्ता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्तांतरित किया जाए) :- चयनित स्थल में प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र मिश्रित प्रजाति के रोपण हेतु उपयुक्त है, के संबंध में वन मण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र पेज क्रमांक 5 से 7 तक में संलग्न है ।
- 11 जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कॉलम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पुछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) :- संलग्न है ।
- 12 विभाग / जिला प्रोफाइल :-
- i जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल :- वन मण्डल का भौगोलिक क्षेत्र 2686.695 वर्ग कि.मी. है ।
- ii जिले का वन क्षेत्र :- वन मण्डल का कुल क्षेत्रफल 705.27 वर्ग कि.मी. है ।
- iii मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र :- वन मण्डल अन्तर्गत 1980 से अब तक कुल 12 प्रकरणों में 126.569 हैं. वन भूमि वनेत्तर प्रयोग में लाया गया है ।
- iv 1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण - :-
- क दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि :- वन मण्डल अन्तर्गत वन भूमि स्वीकृत योजनाओं के विरुद्ध अब तक 1389.365 हैं. भूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण किया गया है ।

- ख वनेतर भूमि पर :- नहीं।
- v तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति - :-
- क वन भूमि पर :- विभिन्न परियोजनाओं के विरुद्ध रोपित किये गये क्षेत्रों के मूल्यांकन से प्रतिपूरक वनीकरण में वृद्धि हुई है।
- ख वनेतर भूमि पर :- वनेत्तर भूमि पर वन मण्डल में क्षतिपूर्ति वनीकरण नहीं हुआ है।
- 13 प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश :- प्रस्ताव को स्वीकृत किए जाने की सिफारिश की जाती है।

कांकेर जिले में शासकीय पॉलीटेक्निक भवन निर्माण होने से जिले के छात्र/छात्राओं को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं होगी एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर उन्हें वृहद रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उपयोग में लाई जाने भूमि भी वानिकी में वनीकरण अथवा पुनरुत्पादन की संभाव्यता के आधार पर पर्याप्त गुणवत्ता की नहीं है, बल्कि उबड़ खाबड़ है। प्राचार्य, शासकीय पॉलीटेक्निक कांकेर द्वारा चाही गई भूमि का रकबा भी 4.309 हैं मात्र है, जिससे वानिकी पर बहुत ज्यादा प्रतिकूल असर नहीं होगा। साथ ही इस पॉलीटेक्निक भवन का निर्माण भी शासकीय प्रक्रिया का एक भाग है, जो राष्ट्रहित में प्रतीत होता है।

दिनांक :-

29/8/2018

स्थान :-

कांकेर

वन मण्डलाधिकारी
कांकेर वन मण्डल कांकेर